राजभाषा अनुभाग एवं कार्य

भारत सरकार, राजभाषा विभाग के दिशानिर्देश के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के नियंत्रणाधिन कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य पृथक्करण के पश्चात स्वतंत्र हिन्दी अनुभाग व्यवस्थापित है। प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार/कार्यालय प्रमुख के नेतृत्व में राजभाषा विभाग एवं मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी राजभाषा संबंधी आदेशों का परिपालन सुनिश्चित किया जाता है। अनुभाग में हिन्दी अधिकारी एवं कनिष्ठ अनुवादक तैनात है। कार्यालय के समस्त अनुभाग में राजभाषा संबंधी दिशा निर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी हिन्दी अधिकारी की होती है।

**राजभाषा/हिन्दी अनुभाग के कार्य**

1. राजभाषा विभाग एवं मुख्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन
2. प्रत्येक तिमाही ( मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर समाप्त) अनुभाग से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित आंकड़े एकत्रित एवं समीक्षा करना तथा मुख्यालय/राजभाषा विभाग को प्रेषित करना।
3. प्रत्येक तिमाही कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित करना एवं अनुपालन प्रतिवेदन मुख्यालय को प्रेषित करना।
4. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि हेतु प्रत्येक तिमाही हिन्दी कार्यशाला आयोजित करना।
5. सितंबर माह में हिन्दी दिवस/पखवाड़ा का आयोजन कर विविध प्रतियोगिताएं आयोजित करना।
6. वार्षिक हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन।
7. पात्र अधिकारी/कर्मचारी गण के लिए हिन्दी भाषा/टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
8. अनुभागों का हिन्दी निरीक्षण करना।
9. समय-समय पर मुख्यालय एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी राजभाषा संबंधी अन्य आदेशों का परिपालन।